

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p>
<p>14-10-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बकलाय फॉरेन इप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकार दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/बीटिंग में है। पत्रावली अधिन कार्यवाही है दिनांक 30-12-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Raj</i></p>
<p>30-12-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील कपी उपरोक्त प्रतिकथन की कपी समस्त पक्ष कान पक्ष होने पर लागू जजरी की जाकर पत्रावली दिनांक 12-3-20 को पेश हो। PO समस्त अन्य कार्य में व्यस्त है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Raj</i></p>
<p>12-3-20 #2.03.2020</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी व पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुककर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थी व पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी व पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थन पत्र द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>

